

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर


क्रमांक:- एफ 17 (3) लेखा/जलेस/प्रमुवसं/2011-12/

दिनांक:-

कार्यालय आदेश

राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक पं. 4(9)वित्त/रा.अंके/94 दिनांक 25.08.1994 एवं पं. 1(6)वित्त/अंकेक्षण/2006 दिनांक 07.11.2006 के अनुसरण में निम्नांकित बिन्दुओं की समयबद्ध पालना सुनिश्चित करने के लिए श्री ओ.पी.सिंह, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (M&E), राजस्थान, जयपुर (कार्यालय दूरभाष नं. 2713856 एवं मोबाईल नं. 9414040458) को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है:-


1. महालेखाकार के निरीक्षण प्रतिवेदन।
2. अंकमिलान।
3. गबन, चोरी/हानि के मामले।
4. ओ.बी.आईटम्स।
5. तथ्यात्मक विवरण, प्रस्तावित ड्राफ्ट पैरा
6. भारत के नियंत्रक महालेखाकार परीक्षक के प्रतिवेदनों की अनुपालना।
7. जन लेखा समिति की सिफारिशें।


प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF),
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:- एफ 17 (3) लेखा/जलेस/प्रमुवसं/2011-12/5425-55 दिनांक:- 11.10.17
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
2. प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा) राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. महालेखाकार, (आर्थिक क्षेत्र एवं राजस्व प्राप्तियों) राजस्थान, जयपुर।
5. शासन सचिव, वन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, वन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (अंकेक्षण) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. श्री ओ.पी.सिंह, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (M&E) राजस्थान जयपुर।
10. समस्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक/अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन

संरक्षक, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF),
राजस्थान, जयपुर।


प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF),
राजस्थान, जयपुर।